दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 10 जनवरी, 2024

उद्घोषित: 20 मार्च, 2024

<u>निष्पादन याचिका संख्या 54/2017 और नि.आ. (मू.प.) 256/2017</u>

सुभाष अरोड़ा

पुत्र श्री जे.आर. अरोड़ा
निवासी सी-28, (भूतल),
पंचशील एन्क्लेव,
नई दिल्ली। ..... डिक्री धारक

द्वारा: श्री रमन कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता सह
सुश्री दामिनी चावला, अधिवक्ता।

बनाम

1. **कलविंदर सिंह संधू**
पुत्र स्वर्गीय श्री केवल सिंह संधू,
बी-28/ए, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली

और 48, हिलक्राफ्ट क्रिसेंट,
बेलिंग, लंदन डब्ल्यू-5,
यूनाइटेड किंगडम

2. **श्री बलविंदर सिंह संधू,**
पुत्र स्वर्गीय श्री केवल सिंह संधू,
निवासी 43, हिलक्रॉफ्ट क्रिसेंट ईलिंग लंदन,
डब्ल्यूएस 2एसजी, यूनाइटेड किंगडम।

3. **श्रीमती तरनजीत कौर**
पुत्री स्वर्गीय श्री केवल सिंह संधू,
13, ब्रुक फील्ड एवेन्यू ईलिंग लंदन,
डब्ल्यूएस1एलए, यूनाइटेड किंगडम।

4. **श्रीमती कुलजीत कौर कुल्लर**
पुत्री स्वर्गीय श्री केवल सिंह संधू,
निवासी 772, बाथ रोड, क्रैनफोर्ड मिडलसेक्स,
टीडब्लू5 9एसजेड, यूनाइटेड किंगडम।

5. **श्रीमती सुरिंदर कौर संधू**
स्वर्गीय श्री केवल सिंह संधू की विधवा,
निवासी 43, हिलक्रॉफ्ट क्रिसेंट अर्लिंग लंदन,
डब्लू52एसजी, यूनाइटेड किंगडम।

6. **श्री सुखविंदर सिंह गिल**
पुत्र श्री जरनैल सिंह गिल,
निवासी फ्लैट नं. 901, देवाशीष,
14ए रोड, खार, मुंबई।

..... निर्णीत ऋणी

द्वारा : श्री आनंद वर्मा और सुश्री अद्याशा नंदा, जे.डी. के अधिवक्तागण। श्री वेनांसियो डी कोस्टा, सुश्री आस्था ओझा और सुश्री गौरी गोयल, निष्पादन आवेदन (मू.प.) 42/2019 में हस्तक्षेपकर्ता के लिए अधिवक्तागण

श्री हरि पटेल

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

न्या., नीना बंसल कृष्णा

निष्पादन आवेदन 42/2019 *(पक्षकार बनाने की मांग करने वाले प्रस्तावित हस्तक्षेपकर्ता की ओर से सि.प्र.सं. की धारा 151 के सहपठित धारा 47 के अंतर्गत)*

1. न्यासी श्री माइकल टी. लीड्स की ओर से नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1906 (इसके बाद "सि.प्र.सं." के रूप में संदर्भित) की धारा 151 के साथ पठित धारा 47 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें आपत्ति उठाई गई है और वर्तमान निष्पादन कार्यवाही में पक्षकार बनाने की मांग की गई है।

2. आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया है कि ग्रांट थॉर्नटन यूके एलएलपी (बाद में "जीटीयूके" के रूप में संदर्भित) एक सीमित देयता भागीदारी है जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2000 के अनुसार गठित की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जीटीयूके के श्री निकोलस वुड और श्री माइकल लीड्स को कलविंदर सिंह संधू, निर्णीत ऋणी संख्या 1 के दिवालियापन में इंग्लैंड और वेल्स में राज्य सचिव द्वारा 10.12.2015 को संयुक्त न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि 7.10.2015 को इंग्लैंड और वेल्स में उच्च

न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2068/2015 में जारी दिवालियापन आदेश के बाद था, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा निर्णीत ऋणी संख्या 1 श्री कलविंदर सिंह संधू के खिलाफ 18.06.2015 को दायर किया गया था। संयुक्त न्यासियों की नियुक्ति की पुष्टि और संप्रेषण यू.के. के आधिकारिक रिसीवर कार्यालय द्वारा किया गया।

3. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि दिनांक 08.04.2011 को हांगकांग के उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत ऋणी संख्या 1 श्री कलविंदर सिंह संधू के विरुद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा, हांगकांग शाखा के पक्ष में एक डिक्री पारित की गई थी। उच्च न्यायालय, क्वीन्स बेंच डिवीजन, वाणिज्यिक न्यायालय के महामहिम न्यायाधीश मैकी क्यूसी ने अपने दिनांक 24.11.2014 के आदेश के तहत हांगकांग उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को मान्यता दी। हालांकि बैंक द्वारा दिए गए वचन पर, यह निर्णय लिया गया कि बैंक उचित अनुमति के बिना निर्णीत ऋणी संख्या 1 द्वारा बकाया ऋण के अंतिम अमेरिकी 42,012.50 को लागू नहीं करेगा। यह आदेश दिया गया कि निर्णीत ऋणी संख्या 1 बैंक को निर्णय ऋण के रूप में 1,927,217.40 अमेरिकी डॉलर और 11,045 हांगकांग डॉलर का भुगतान करेगा, साथ ही निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और लागत भी अदा करेगा। हालाँकि, आज तक निर्णीत ऋणी संख्या 1 द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। व्यथित होकर, बैंक ने 18.06.2015 को इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय में

कलविंदर सिंह संधू के संबंध में याचिका संख्या 2068/2015 दायर की। निर्णीत ऋणी संख्या 1 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 07.10.2015 के आदेश के माध्यम से श्री कलविंदर सिंह संधू को दिवालिया घोषित किया।

4. आवेदक ने निर्णीत ऋणी संख्या 1 के वित्तीय मामलों की जांच की और यह स्थापित हुआ कि उसका संपत्ति संख्या बी-8/ए, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली, भारत में वित्तीय हित था और उसने अपने पिता श्री केवल सिंह संधू के साथ मिलकर दिनांक 20.07.2010 को डिक्री धारक श्री सुभाष अरोड़ा के साथ संपत्ति के विक्रय के लिए कुल राशि 13,25,00,000.00 रुपये (13.25 करोड़) का विक्रय समझौता किया था। यह ज्ञात है कि निर्णीत ऋणी संख्या 1 को 2010 में संपत्ति की खरीद के लिए आंशिक प्रतिफल के रूप में 2,60,00,000.00 रुपये प्राप्त हुए थे। वादांतर्गत संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में निर्णीत ऋणी और डिक्री धारक के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके अनुसार डिक्री धारक ने दिनांक 20.07.2010 को समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष सि.वा.(मू.प.) संख्या 734/2011 नाम वाला वाद दायर किया, जिसे दिनांक 26.11.2016 के निर्णय के माध्यम से डिक्री धारक के पक्ष में इस निर्देश के साथ सुनाया गया कि निर्णीत ऋणी डिक्री धारक को 10,65,00,000.00 रुपये (10.65 करोड़) का शेष प्रतिफल देकर दिनांक 20.07.2010 के समझौते का विशेष रूप से पालन करेगा।

5. इसके बाद, डिक्री धारक ने दिनांक 26.11.2016 को डिक्री के निष्पादन के लिए वर्तमान निष्पादन याचिका दायर की थी।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 26.11.2016 की डिक्री के अनुसार निर्णीत ऋणी संख्या 1 वर्तमान निष्पादन कार्यवाही में 10,65,00,000.00 (10.65 करोड़) रुपये प्राप्त करने का हकदार है। आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 29.11.2017 के माध्यम से डिक्री धारक श्री सुभाष अरोड़ा को इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.10.2015 के दिवालियापन आदेश के बारे में सूचित किया। हस्तक्षेपकर्ता ने डिक्री धारक को यह भी सूचित किया कि संपत्ति के विक्रय से उत्पन्न होने वाली सम्पूर्ण विक्रय आय (या विक्रय आय का कम से कम 50%) अनिवार्य रूप से दिवालियापन संपदा की एक परिसंपत्ति बनती है। इसके अलावा, डिक्री धारक को यह भी सूचित किया गया है कि शेष विक्रय आय, जो निर्णीत ऋणी संख्या 1 को देय है, वास्तव में कानूनी रूप से हस्तक्षेपकर्ता को भुगतान की जानी चाहिए। हालाँकि, डिक्री धारक दिनांक 29.11.2017 के पत्र और उसके बाद दिनांक 15.01.2018 के पत्र का उत्तर नहीं दे पाया, जिसमें मांग दोहराई गई थी।

7. यह दावा किया गया है कि फरवरी, 2018 के प्रथम सप्ताह में किसी समय डिक्री धारक के अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता को टेलीफोन पर सूचित किया कि निर्णीत ऋणी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है। हालांकि, बाद में

यह स्पष्ट किया गया कि यह श्री केवल सिंह संधू/निर्णीत ऋणी संख्या 2, निर्णीत ऋणी संख्या 1 के पिता थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। यह दावा किया गया है कि निर्णीत ऋणी संख्या 1 के विरुद्ध लंबित दिवालियेपन कार्यवाही के बारे में डिक्री धारक को जानकारी होने के बावजूद, उसने जानबूझकर सि.प्र.सं. के आदेश नियम 22 उपनियम (1)(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और न तो कोई नोटिस जारी किया है और न ही वर्तमान निष्पादन कार्यवाही में हस्तक्षेपकर्ता को पक्षकार बनाया है।

8. हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 07.10.2015 का दिवालियापन आदेश व्यतिकारी राज्यक्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है और इसका पूर्ण प्रभाव है तथा यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44क के अंतर्गत भारत में निष्पादन योग्य है। इसके अलावा, केवल एक व्यक्ति दिवालिया की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त आधिकारिक रिसीवर या दिवालियापन में बाद में नियुक्त न्यासी है।

9. हस्तक्षेपकर्ता ने इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.10.2015 के दिवालियापन आदेश को निष्पादित करने के लिए पहले ही एक्सप. संख्या 70/2018 नाम वाली निष्पादन याचिका दायर कर दी है। आदेश नियम 46, सि.प्र.सं. के तहत गार्निशी आदेशों के लिए उक्त निष्पादन याचिका में एक आवेदन भी पेश किया गया है, जिस पर निर्णीत

ऋणी सं. 1 को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। दिनांक 19.11.2018 के आदेश माध्यम से, इस न्यायालय ने गार्निशी अर्थात डिक्री धारक को निर्देश दिया कि वह निर्णीत ऋणी संख्या 1 का हिस्सा न्यायालय में जमा कराए, जो निर्णीत ऋणी संख्या 1 को देय पाया गया है।

10. पक्षकारगण के अनुरोध पर मामला 19.11.2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को भेज दिया गया। हस्तक्षेपकर्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि हस्तक्षेपकर्ता की अनुपस्थिति में पक्षकारगण के बीच हुए किसी भी समझौते का, निर्णीत ऋणी सं. 1 की संपदा में हिस्सेदारी पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे हस्तक्षेपकर्ता को गंभीर नुकसान होगा।

11. हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसे निर्णीत ऋणी संख्या 1 से ब्याज और लागत सहित 1,927,217.40 अमेरिकी डॉलर (113,537,780.71 भारतीय रुपये के बराबर), 11,045 हांगकांग डॉलर (86,34.40 भारतीय रुपये के बराबर) वसूल करना है। हस्तक्षेपकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि उसे इस बात की प्रबल आशंका है कि निर्णीत ऋणी संख्या 1 या उसके विधिक वारिस संपत्ति की विक्रय के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले निर्णीत ऋणी के हिस्से को हस्तांतरित या कम कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निर्णीत ऋणी संख्या 1 की दिवालियापन संपत्ति के न्यासियों को भारी नुकसान और हानि होगी। *इसलिए प्रार्थना की गई है कि हस्तक्षेपकर्ता को भी पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाए।*

12. **डिक्री धारक ने अपने उत्तर में** प्रस्तुत किया है कि निर्णीत ऋणी संख्या 1 की बकाया देयता के संबंध में आवेदकों की संयुक्त न्यासी के रूप में नियुक्ति उनके ज्ञान में नहीं है और आवेदक कार्यवाही से अपरिचित है।

13. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दोनों पक्षकारगण पहले ही सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंच चुके हैं, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र के समक्ष वर्तमान आवेदन दायर करने से बहुत पहले 09.01.2019 को हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 09.01.2019 को दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, यह सहमति हुई है कि विक्रय विलेख को डिक्री धारक के पक्ष में 7,60,00,000/- रुपये के कम प्रतिफल के भुगतान पर, भौतिक कब्जा सौंपे बिना निष्पादित किया जाएगा, क्योंकि यह अतिचारियों के कब्जे में है और निर्णीत ऋणी उन्हें बेदखल करने की स्थिति में नहीं है। पक्षकारगण के बीच समझौते को अभिलेख पर लेने और वर्तमान निष्पादन याचिका का निपटान करने के लिए पक्षकारगण ने पहले ही नि.आ. सं. 35/2019 के नाम वाला एक आवेदन दायर कर दिया है।

14. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा निर्णीत ऋणी और डिक्री धारक के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और कष्टप्रद हैं। दिनांक 09.11.2017 को निष्पादन याचिका के उत्तर में निर्णीत ऋणी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने निर्णय धारक से वादांतार्गत संपत्ति में अतिचारियों की उपस्थिति के कारण वादांतार्गत संपत्ति की कीमत कम करने का अनुरोध किया था। डॉ.

सुकविंदर कौर नाम की व्यक्ति आज भी विवादित संपत्ति पर काबिज हैं और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है।

15. दोनों पक्षों के बीच समझौता 19.11.2018 से काफी पहले हो गया था, जिस दिन डिक्री धारक को श्री कलविंदर सिंह संधू को देय राशि न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था। डिक्री धारक की जानकारी के अनुसार, दिनांक 19.11.2018 के आदेश पारित होने के बाद निर्णीत ऋणी सं. 1 को कोई भुगतान नहीं किया गया है, दिनांक 09.01.2019 का समझौता करार न तो मिलीभगत है और न ही यह आवेदकों के लिए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह पैदा करता है।

16. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान आवेदन में कोई गुणागुण नहीं है जिससे सीधे तौर पर यह खारिज किए जाने योग्य है।

17. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

18. आवेदन में वर्णित तथ्यों से यह पता चलता है कि निर्णीत ऋणी संख्या 1 पर बैंक ऑफ बड़ौदा, हांगकांग शाखा का पैसा बकाया था और भुगतान न करने पर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हांगकांग में श्री कलविंदर सिंह संधू के खिलाफ एक डिक्री थी। बकाया राशि का भुगतान न किए जाने पर, श्री कलविंदर सिंह के खिलाफ इंग्लैंड और वेल्स के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई, क्योंकि वह ब्रिटेन में रह रहा था, और

डिक्री को इंग्लैंड और वेल्स में मान्यता दी गई। श्री कलविंदर सिंह संधू उपस्थित नहीं हुए और उसे दिनांक 07.10.2015 के आदेश के माध्यम से दिवालिया घोषित कर दिया गया।

19. वर्तमान आवेदक, निर्णीत ऋणी संख्या 1 के विरुद्ध हांगकांग उच्च न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री के निष्पादन के लिए नियुक्त न्यासियों में से एक है। दिवालियापन कार्यवाही मूलतः बैंक ऑफ बड़ौदा से निर्णीत ऋणी द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में थी।

20. बहस के दौरान, बैंक ऑफ बड़ौदा के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वे पहले से ही डीआरटी के समक्ष मामले में अपने बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयास कर रहे हैं। दिवालियापन की कार्यवाही स्पष्ट रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा को देय राशि की वसूली के लिए यू.के. में शुरू की गई थी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा स्वयं डीआरटी के समक्ष निष्पादन के माध्यम से अपने स्वतंत्र उपचारों का अनुसरण कर रहा है।

21. हस्तक्षेपकर्ता इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिवालियापन आदेश के अनुसार निर्णीत ऋणी संख्या 1 से भी धन पाना चाहता है। जैसा कि हस्तक्षेपकर्ता ने उल्लेख किया है, उसने पहले ही निर्णीत ऋणी के विरुद्ध निष्पादन संख्या 70/2018 के नाम वाली एक स्वतंत्र निष्पादन कार्यवाही दायर कर दी है। हस्तक्षेपकर्ता के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, दिनांक 19.11.2018

को एक गार्निशी आदेश भी पारित किया गया है, जिसमें डिक्री धारक को शेष विक्रय राशि न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

22. चूंकि हस्तक्षेपकर्ता ने पहले ही स्वतंत्र निष्पादन याचिका संख्या 70/2018 के माध्यम से अपना स्वयं का उपाय शुरू कर दिया है, जिसमें 19.11.2018 को गार्निशी आदेश भी किए गए हैं और यह भी विचार करते हुए कि बैंक ऑफ बड़ौदा निर्णय देनदार संख्या 1 के खिलाफ अपना स्वयं का उपाय कर रहा है, हस्तक्षेपकर्ता वर्तमान कार्यवाही के लिए न तो आवश्यक है और न ही उचित पक्ष है। हस्तक्षेपकर्ता का एकमात्र हित निर्णीत ऋणी संख्या 1 से अपना धन प्राप्त करना है, जो डिक्री धारक के माध्यम से उसके हाथों में आ सकता है। हालाँकि, प्रस्तुतियों के अनुसार, गार्निशी आदेश 19.11.2018 को पहले ही दिया जा चुका है। हस्तक्षेपकर्ता ने पहले ही अपना स्वतंत्र कदम उठा लिया है और इसलिए, वह वर्तमान कार्यवाही के लिए न तो एक आवश्यक और न ही उचित पक्षकारगण है।

23. अतः, आवेदन खारिज किया जाता है।

नि.आ. 505/2023 *(निर्देश जारी करने के लिए हस्तक्षेपकर्ता की ओर से धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत)*

नि.आ.198/2019 *(दिनांक 19.01.2019 को समझौते करार को रद्द करने के लिए हस्तक्षेपकर्ता की ओर से धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत)*

24. डिक्री धारक और निर्णीत ऋणी को दिनांक 19.01.2019 के समझौते करार पर कार्रवाई न करने के निर्देश जारी करने के लिए हस्तक्षेपकर्ता की ओर से **एक आवेदन सं. 505/2023** दायर किया गया है।

25. **हस्तक्षेपकर्ता ने दिनांक 19.01.2019 के समझौते करार को रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन संख्या 198/2019 दायर किया है।**

26. आवेदन में कहा गया है कि हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दायर निष्पादन याचिका संख्या 70/2018 में, 19.11.2018 को एक गार्निशी आदेश दिया गया था, जिसमें डिक्री धारक के साथ-साथ निर्णीत ऋणी को भी उचित सेवा प्रदान की गई थी, जिसमें डिक्री धारक को निर्देश दिया गया कि वह निर्णीत ऋणी संख्या 1 को देय शेष विक्रय प्रतिफल को न्यायालय में जमा कराए। आदेशों और निष्पादन याचिका के लंबित रहने के बावजूद, पक्षों ने समझौता कर लिया है, जिसमें न केवल विक्रय मूल्य कम कर दिया गया है, बल्कि दोनों पक्ष विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, जिसके बारे में हस्तक्षेपकर्ता को 24.03.2023 को न्यायालय में पता चला है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच हुए मध्यस्थता समझौते को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

27. **डिक्री धारकों ने अपने उत्तर में** इस बात से इनकार किया है कि उन्हें निर्णीत ऋणी के विरुद्ध दिवालियापन कार्यवाही की जानकारी थी।

28. यह कहा गया है कि एक अतिचारी द्वारा वादांतार्गत संपत्ति पर अवैध कब्जे और दिनांक 26.09.2016 के डिक्री के संदर्भ में डिक्री धारक को उस पर भौतिक खाली कब्जा सौंपने में निर्णय देनदारों की असमर्थता के कारण, पक्षकारगण द्वारा वादांतार्गत संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य कम कर दिया गया है। इस बात से भी इनकार किया गया है कि डिक्री धारकों और निर्णीत ऋणी के बीच कोई मिलीभगत है।

29. इसलिए, आवेदन खारिज किया जा सकता है।

30. निर्णीत **ऋणी संख्या 1 ने अपने उत्तर में कहा** है कि जब तक इंग्लैंड और वेल्स उच्च न्यायालय के दिवालियापन आदेश को इस न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, तब तक आवेदक के पास वर्तमान आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, इस बात से भी इनकार किया गया है कि उनके द्वारा गार्निशी ऑर्डर का उल्लंघन किया गया था।

31. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

32. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान निष्पादन कार्यवाही दिनांक 26.11.2016 के निर्णय के निष्पादन में शुरू की गई है, जिसमें दिनांक 20.07.2010 को विक्रय समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री धारक को एक डिक्री प्रदान की गई थी। हुए समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष संपत्ति के बदले में 7,60,00,000/- रुपये की राशि पर सहमत हुए हैं।

वर्तमान आवेदन हस्तक्षेपकर्ता द्वारा निर्णीत ऋणी संख्या 1 से देय राशि वसूलने के लिए दायर किए गए हैं, जो वर्तमान निष्पादन याचिका में विक्रय के लिए एक समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के डिक्री के निष्पादन में डिक्री धारक के माध्यम से उसके हाथ में आ सकती है।

33. हस्तक्षेपकर्ता की प्रस्तुतियों के अनुसार, उन्होंने पहले ही निर्णीत ऋणी संख्या 1 से धन की वसूली के लिए स्वतंत्र निष्पादन कार्यवाही दायर कर दी है और यहां तक कि कार्यवाही में 19.11.2018 को गार्निशी आदेश भी जारी कर दिया गया है। हस्तक्षेपकर्ता, इस न्यायालय की डिक्री से उत्पन्न होने वाले उसके दायित्वों से, राशि प्राप्त होने पर डिक्री धारक के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने से, निर्णीत ऋणी को नहीं रोक सकता। चूंकि हस्तक्षेपकर्ता द्वारा स्वतंत्र निष्पादन याचिका दायर करके पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं और उसका हित केवल धन पाने में है, इसलिए, उनके पास अपने पक्ष में डिक्री के निष्कर्ष से इनकार करने और निष्पादन याचिका की संतुष्टि में विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए पक्षकारगण के बीच मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

34. इसके अलावा, पक्षकारगण ने वैध रूप से मध्यस्थता समझौता किया है और विक्रय मूल्य को घटाकर 7,60,00,000/- रूपये कर दिया है, जिसके लिए स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि चूंकि निर्णीत ऋणी परिसर में कब्जा

करने वाले अतिचारी को बेदखल करने में असमर्थ है, इसलिए उसे विक्रय मूल्य को कम करने के लिए विवश किया गया है।

35. पक्षकारगण ने *आपसी सहमति से* इस प्रतिफल राशि को कम करने का निर्णय लिया हो सकता है, लेकिन हस्तक्षेपकर्ता इस आधार पर पक्षकारों के समझौते पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हस्तक्षेपकर्ता द्वारा पहले ही एक स्वतंत्र निष्पादन याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें वह या तो निर्णीत ऋणी या डिक्री धारक से, जैसा भी मामला हो, शेष राशि की वसूली की मांग करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका ऋण हस्तक्षेपकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाना है, पहले से ही डीआरटी में अपना स्वतंत्र उपाय अपना रहा है।

36. इसलिए उपरोक्त दोनों आवेदन निराधार हैं और इन्हें खारिज किया जाता है।

नि.आ. 35/2019 *(निष्पादन याचिका के निपटान की मांग करने वाले डिक्री धारक की ओर से धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत)*

37. निष्पादन याचिका के निपटान की मांग करते हुए डिक्री धारक की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है।

38. यह प्रस्तुत किया गया है कि 19.01.2018 को पक्षों ने समझौते की संभावना तलाशने के लिए मध्यस्थता के लिए भेजे जाने का अनुरोध किया

और तदनुसार पक्षों को 10.12.2018 को मध्यस्थता केंद्र में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 09.01.2019 को एक समझौता किया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वे समझौते का पालन करेंगे और यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है। यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 09.01.2019 के समझौते के मद्देनजर, वर्तमान निष्पादन याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

39. हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस समझौते पर गंभीर आपत्ति जताई है, जिसे दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। यह दावा किया गया है कि विक्रय समझौते के तहत देय राशि 10,65,00,000.00 रुपये थी, लेकिन मामले को 7,60,00,000/- रुपये के भुगतान पर निपटाया गया है, जो कि हस्तक्षेपकर्ता के वास्तविक अधिकारों को हराने के लिए पक्षकारगण के बीच किया गया एक दुर्भावनापूर्ण समझौता है।

40. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

41. आदेश नियम 10, सि.प्र.सं. के तहत हस्तक्षेपकर्ता का आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान निष्पादन याचिका दिनांक 26.09.2016 को अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री के संबंध में थी, जो 20.07.2010 को पक्षकारगण के बीच किए गए एक विक्रय समझौते के संबंध में थी। पक्षकारगण ने वैध रूप से मध्यस्थता समझौता किया है और विक्रय मूल्य को घटाकर 7,60,00,000/- रुपये कर दिया है,

जिसके लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि निर्णीत ऋणी उस अतिचारी को बेदखल करने में असमर्थ है, जो परिसर पर कब्जा कर रहा है और उसे विक्रय मूल्य को कम करने के लिए बाध्य किया गया है।

42. वर्तमान निष्पादन, पक्षों के बीच दिनांक 20.07.2010 के विक्रय समझौते के निष्पादन से संबंधित है, जिसका अब उनके द्वारा निपटारा कर दिया गया है। इस निष्पादन को रोकने या लंबित रखने के लिए हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उठाई गई इस आपत्ति में कोई गुणागुण नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि मध्यस्थता समझौता किसी दबाव या जबरदस्ती के कारण किया गया है। विक्रय विलेख पहले से ही निष्पादित है। वर्तमान निष्पादन याचिका में अब कुछ भी नहीं बचा है, जिसका निपटान दिनांक 09.01.2019 के मध्यस्थता समझौते के अनुसार किया जाता है।

43. तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी जाती है।

44. निष्पादन याचिका का निपटान लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायाधीश

20 मार्च, 2024/वीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*